रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 98] नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 1970/ज्यैष्ठ 6, 1892

[No. 98] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 1970/JAISTHA 6, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 27th May 1970

G.S.R. 861.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 79 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the Passengers (Non-Tourist) Baggage Rules, 1960, and the Crew Baggage Rules, 1967, the Central Government hereby makes the following rules for passing free of duty baggage of passengers (other than tourists) who arrive from any country other than Ceylon, Pakistan or Nepal, namely:—

1. **Short title, commencement and application.**—(1) These rules may be called the Baggage Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the 27th June, 1970.

(3) They shall apply to baggage of all passengers who arrive in India on or after the 27th June, 1970.

2. **Used personal effects.**—The used articles of personal wear (excluding jewellery and wrist watch) and articles in personal use of a passenger for satisfying daily necessities of life may be passed free of duty.

3. **General free allowance.**—In addition to the articles specified in rule 2, an adult passenger may also be allowed to import free of duty articles up to a value of Rs. 500, if the proper officer is satisfied that such articles are for the use of the passenger or his family or for making gifts or souvenirs;

Provided that a passenger below 18 years of age may be allowed to import free of duty articles up to a value of Rs. 125/- if the proper officer is satisfied that such articles are for the use of such passenger.

4. **Additional allowance for used household articles.**—In the case of a passenger who has resided abroad in one country for over three months and is returning to India within two years of his departure from India, articles actually used for running his household, namely, linen, utensils, kitchen appliances and iron, upto an aggregate value of Rs. 500/- may be passed free of duty.

5. **Allowance for professional tools.**—A Passenger satisfying the condition of residence prescribed in rule 4 may be allowed clearance free of duty of such used instruments, appratus or appliances as are specially designed for use in the profesion or calling followed by him and which any person following the same profession or calling would ordinarily carry with him in his professional tour.

6. **Jewellary and wrist watch.**—Jewellary and wrist watch in the actual use of a passenger who has been residing abroad for over one year but less than two years may be allowed clearance free of duty up to the aggregate value of Rs. 500 in the case of a male passenger and Rs. 1,000 in the case of a female passenger.

7. **Unaccompanied baggage.**—(1) Subject to the conditions and limitations laid down in these rules, the proper officer may pass free of duuty *bona fide* unaccompanied baggage arriving in India after the arrival of the passenger, if it was in his possession abroad and was shipped by sea within one month or despatched by air within a fortnight of the passenger's arrival in India:

Provided that if the Assistant Collector of Customs or the Collector of Customs or the Board, as the case may be, is satisfied that the passenger could not ship or despatch his bona fide un-accompanied baggage within the period aforesaid in spite of his having taken all reasonable steps for that purpose, the Assistant Collector of Customs may extend the time limit of one month to two months or of a fortnight to one month, as the case may be and the Collector of Customs may extend the time limits to six months and the Board may extend up to any further time.

(2) *Bona fide* baggage of a passenger landed at any Customs station within two months before his arrival in India may be passed free of duty by the proper officer subject to the conditions and limitations laid down in these rules:

Provided that the Assistant Collector of Customs may, in his discretion, extend the time limit for the arrival of the passenger up to four months and the Collector of Customs may extend up to any further time if the said Assistant Collector or the Collector, as the case may be, is satisfied that the passenger was prevented by sufficient cause from arriving in India within the aforesaid period of two months.

8. **Application of these rules to members of the crew.**—These rules, except rule 4, shall apply, in respect of officers and members of the crew engaged in a foreign-going vessel for clearance of their baggage at the time of final pay off on terminatio nof their engagement:

Provided that the concession under rule 5 shall not be allowed except at the time of final pay off on termination of first engagement in a foreign-going vessel.

9. **Articles not exempted from duty.**—Notwithstanding the provisions of rules 3 and 4, the following articles shall not be passed free of duty under these rules, namely:—

(i) Air Conditioner.
(ii) Refrigerator.
(iii) Cooking range.
(iv) Washing Machine.
(v) Motor cycle, Scooter and Moped.
(vi) Radiogram other than battery operated.
(vii) Television Set.

(viii) Tape Recorder other than battery operated.
(ix) Amplifier.
(x) Movie Camera.
(xi) Movie Projector.
(xii) Firearms.
(xiii) Golf Clubs.
(xiv) Cigarettes exceeding 200 or cigars exceeding 50 or Tobacco exceeding 250 grammes.
(xv) Alcoholic liquor in excess of 0.75 litre.

[No. 50-Customs/F. No. 5/20/70-Cus. VI.]

M. G. ABROL, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 27 मई, 1970

सा० का० नि० 861.—सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 79 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यात्री (अपर्यटक) सामान नियम 1960 और कर्मीदल सामान नियम 1967 को अधिक्रांत करते हुए केन्द्रीय सरकार श्रीलंका, पाकिस्तान या नेपाल से भिन्न किसी भी देश से पहुंचने वाले (पर्यटकों से भिन्न) यात्रियों के सामान को निःशुल्क पास करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम प्रारंभ और लागू होना**.—(1) ये नियम सामान नियम 1970 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये 27 जून 1970 को प्रवृत्त होंगे ।

(3) ये उन सब यात्रियों के सामान को लागू होंगे जो भारत में 27 जून 1970 को या उसके पश्चात् पहुंचेंगे ।

2. **उपयोग में लायी गई निजी चीजवस्त** :—(रत्नाभूषणों और कलाई घड़ी को छोड़कर) यात्री के निजी पहनावे की उपयोग में लायी गई वस्तुएं और जीवन की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली निजी उपयोग में लाई गई वस्तुएं निःशुल्क पास की जा सकेंगी ।

3. **साधारण निःशुल्क छूट**:—नियम 2 में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के अतिरिक्त वयस्थ यात्री को 500 रु० मूल्य तक की वस्तुएं निःशुल्क आयात करने की अनुज्ञा दी जा सकती है यदि समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाए कि ऐसी वस्तुएं यात्री या उसके कुटुम्ब के उपयोग के लिए या दान या स्मृति-उपहार देने के लिए है ;

परन्तु 18 वर्ष से कम की आयु के यात्री को 125 रु० तक के मूल्य की वस्तुएं निःशुल्क आयात करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी यदि समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाए कि ऐसी वस्तुएं ऐसे यात्री के उपयोग के लिए हैं ।

4. **उपयोग में लायी गई घरेलू वस्तुओं के लिए अतिरिक्त छूट** :—उस यात्री की दशा में जिसने विदेश में एक ही देश में तीन मास से अधिक के लिए निवास किया हो और भारत से अपने जाने के दो वर्ष के भीतर भारत वापस आ रहा हो 500 रु० तक के कुल मूल्य की वस्तुएं उपयोग में लायी गई घरेलू वस्तुएं अर्थात् लिनन, बर्तन, रसोई, साधित्र और इस्तरी निःशुल्क पास की जा सकती है।

5. **वृत्तिक औजारों के लिए छूट**:—नियम 4 में विहित निवास की शर्त को पूरा करने वाले यात्रियों को उपयोग में लाए गए ऐसे यंत्रों, उपकरणों और साधित्रों को जो उनके द्वारा वृत्तिक या आजीविका में उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं और जिन्हें उसी वृत्ति या आजीविका वाला कोई भी व्यक्ति अपने वृत्तिक दौरे पर सामान्यतः अपने साथ ले जाएगा, निकासी निशुल्क अनुज्ञात की जा सकती है।

6. **रत्नाभूषण और कलाई घड़ी** :—कोई यात्री जो विदेश में एक वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष से कम रह रहा हो उसके वस्तुतः उपयोग में पुरुष यात्री की दशा में कुल 500 रु० तक के मूल्य के और महिला यात्री की दशा में कुल 1000 रु० तक के मूल्य के रत्नाभूषण और कलाई घड़ी की निकासी निःशुल्क अनुज्ञात की जा सकती है।

7. **साथ न लाया गया सामान** :—(1) इन नियमों में अधिकथित शर्तों और परिसीमाओं के अध्यधीन समुचित अधिकारी यात्री के भारत पहुंचने के पश्चात् पहुंचने वाले साथ न लाए गए सद्भावी सामान को निःशुल्क पास कर सकता है, यदि वह सामान विदेश में उसके कब्जे में रहा हो और यात्री के भारत पहुंचने के एक मास के भीतर पोत द्वारा भेजा गया हो या उस एक पखवाड़े के भीतर विमान द्वारा प्रेषित किया गया हो :

परन्तु यदि यथास्थिति सीमा शुल्क के सहायक कलक्टर या सीमाशुल्क के कलक्टर या बोर्ड का समाधान हो जाए कि —

यात्री साथ न लाये गये अपने सद्भावी सामान को पूर्वोक्त कालावधि के भीतर उस प्रयोजन के लिए सभी युक्तियुक्त कदम उठाये जाने के बावजूद पोत द्वारा नहीं भेज सका या प्रेषित नहीं कर सका तो सीमाशुल्क सहायक कलक्टर यथास्थिति एक मास की समय सीमा को दो मास तक या एक पखवाड़े की समय सीमा को एक मास तक बढ़ा सकता है और सीमा शुल्क कलक्टर समय सीमाओं को छः मास तक बढ़ा सकता है और बोर्ड किसी भी अगले समय तक बढ़ा सकता है।

(2) किसी यात्री का सद्भावी सामान जो उसके भारत में पहुंचने के दो महने पूर्व के भीतर किसी सीमा शुल्क स्टेशन पर उतारा गया हो इन नियमों में अधिकथित परिसीमाओं और शर्तों के अध्यधीन समुचित अधिकारी द्वारा निःशुल्क पास किया जा सकता है।

परन्तु यदि यथास्थिति उक्त सहायक कलक्टर या कलक्टर का समाधान हो जाए कि यात्री पूर्वोक्त दो मास की कालावधि में भारत में पहुंचने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था तो सीमा शुल्क सहायक कलक्टर अपने विवेकानुसार यात्री के पहुंचने की समय सीमा को 4 मास तक बढ़ा सकता है और सीमा शुल्क कलक्टर सीमा को किसी भी अगले समय तक बढ़ा सकता है।

8. **इन नियमो का कर्मीदल के सदस्यों को लागू होना** :—ये नियम, नियम 4 के सिवाय उन अधिकारियों और कर्मीदल के सदस्यों की बाबत जो विदेश जाने वाले जलयान पर नियुक्त हों को उनकी नियुक्ति के पर्यवसान पर अन्तिम वेतन संदत्त किए जाने के समय सामान की निकासी के लिए

लागू होंगे परन्तु नियम 5 के अधीन रियायतें विदेश जाने वाले जलयान में उनकी प्रथम नियुक्ति के पर्यवसान पर अन्तिम वेतन संदत्त किये जाने के समय अनुज्ञात नहीं की जायेंगी ।

9. **वस्तुएं जिन्हें शुल्क से छूट प्राप्त नहीं है** :–नियम 3 और 4 के उपबन्धों के होते हुए भी निम्नलिखित वस्तुएं इन नियमों के अधीन निःशुल्क पास नहीं की जायेंगी, अर्थात्:—

(1) वातानुकूलक
(2) रेफ्रिजिरेटर
(3) कुकिंग रेंज
(4) धुलाई मशीन
(5) मोटर साइकिल, स्कूटर और मोपेड
(6) रेडियोग्राम, बैकरी द्वारा प्रचालित से भिन्न
(7) टेलीविजन सेट
(8) टेप रिकार्डर बैटरी द्वारा प्रचालित से भिन्न
(9) एम्पलीफायर
(10) चलचित्र कैमरा
(11) चलचित्र प्रक्षेपित्र
(12) अग्न्यायुध
(13) गाल्फ क्लब
(14) 200 से अधिक सिगरेट या 50 से अधिक सिगार या 250 ग्राम से अधिक तम्बाकू ।
(15) 0.75 लिटर से अधिक ऐल्कोहालिक लिकर ।

[सं० 50–सीमा शुल्क/फा० सं० 5/20/70–सीमा शुल्क 6]

एम० जी० अग्रोल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970